न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

[illegible] तारीख रजू 15/3/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का मोहेड़ा ------ बनाम [illegible] पुत्र बुद्ध ---------जाति गुर्जर निवासी सिकन्दरपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा ---- हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री ---------- लखन ---------- ने ग्राम सिकन्दरपुर ------- को भूमि ख.न. ---- 889/1023 ---- रकबा 0.25 किस्म चरागाह फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 20 74 ------ में ---- चना ---- कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. ---- 889/1023 ---- रकबा 0.25 किस्म चरागाह वाके ग्राम सिकन्दरपुर से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 5.00 का 50 गुणा 250 रु. शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल ------ चना ------को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)
तहसीलदार महवा

रजिस्टर ग/घ के पेज नं0 ..112.... पर
वर्ष 2017-18 ...में पेनल्टी/फसल नीलामी
की राशि [illegible] 250 रु. ....
की जमा कायमी [illegible]
दिनांक 12/3/18 सहायक राजस्व लेखाकार
तहसील–महवा